

फर्द अहकाम

प्रकरण सं० 52/2419

वैशाली

बनाम श्री राजेश

रीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामिल में जारी हुए
----------	---------------------------------	---

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रार्थी अनुपस्थित। वादी/प्रार्थी भी अनुपस्थित। प्रकरण में वकील वादी/प्रार्थी को विधिवत रूप से सेवा-सेवा कर तीस बार आवाजे लगाई लेकिन उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। वकील वादी/प्रार्थी पूर्व में भी अनुपस्थित रहा। वकील वादी व वादी के अनुपस्थित रहने से प्रकरण को अदम हाजरी व अदम पेशी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को अदम हाजरी व अदम पेशी में खारिज किया जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।

अतः पत्रावली के मध्य सुमांशु लेकर जर्ज नम्बर ले कम कि जाकर वाकील के समक्ष हो।

रूपचन्द्र अधिकारी  
हमरपड (राज.)